न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :—श्री कैलाशचन्द्र शर्मा.आर.ए.एस
मु0माल स0 309/2015

1—देवेन्द्रकुमार अग्रवाल पुत्र बनारसीदास जाति अग्रवाल सैक्टर नम्बर 7जवाहरनगर श्रीगंगानगर —प्रार्थी

बनाम

1—श्रीमति बिरमादेवी चैरीटेबल ट्रस्ट जवाहरनगर श्रीगंगानगर जरिऐ प्रन्यासी नरेश गुप्ता पत्र त्रिलोकचन्द गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी 55 सी ब्लाक श्रीगंगानगर —अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि01955
उपस्थितिः—1—श्री सुरेन्द्रसिंह भनोत एडवोकेट— प्रार्थी

A 3/7

आदेश—: दिनांकः— फरवरी,2016

इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नप्रकार से है कि मूल वाद 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुऐ यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया हैं। कि चक 7 ई छोटी के मु0न016 के कि0न020 की 10 विस्वा,21ता25 की 5.00बीधा कुल 5.10बीधा जमीन बिरमादेवी चैरीटेबल ट्रस्ट श्रीगंगानगर की खातेदारी कृषि भूमि हें भूमि की व्यवस्था प्रन्यासी नरेश गुप्ता के अधीन हैं और ट्रस्ट के द्वारा भूमि की काश्त हिस्सा ठेका पर दी जाकर करवायी जाती है। नरेश कुमार गुप्ता के द्वारा दिनांक 1—3—14 से 2872—2019 तक के लिऐ हिस्सा ठेका पर काश्त की व्यवस्था प्रार्थी को जरिऐ दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 1—3—2014 दी जाकर काश्त के लिऐ भूमि का कब्जा प्रार्थी को दे रखा हें समस्त खर्चे की अदायगी का दायित्व प्रार्थी पर होगा ओर भूमि से प्राप्त होने वाली आय का आधा हिस्सा प्रति वर्ष प्रार्थी रखेगा ओर आधा हिस्सा का प्रतिफल अप्रार्थी ट्रस्ट को जायेगा। प्रार्थी के द्वारा अपनी मेहनत और लगन से इस भूमि को विकसित करके कब्जा काश्त की हुई हैं इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम द्वष्टया मामला बनता हैं। उक्त उक्त विवादास्पद भूमि प्रार्थी के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से हस्तक्षेप नहीं करें। वाद के साथ प्रस्तुत किये जाने पर वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुनकर प्रथम द्वष्टया प्रकरण बनने से उक्त विवादास्पद भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 21—12—15 को अप्रार्थी को चक 7 ई छोटी मु0न016 के कि0न020 में 0.10,21ता25 की 5.10बीधा भूमि प्रार्थी के ठेका अवधि में विक्रय करने भूमि एंव किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने से बाज व ममनू रहनें तथा मौका की यथास्थिति बनाई रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर अप्रार्थी को जरिऐ रजि0 नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पर नोटिस की तामील इन्कारी से हो जाने के कारण अप्रार्थी के विरुद्व दिनांक 4—1—16 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने दिनांक 5—2—2016 को प्रार्थी के सुयोग्य अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोहराते हुऐ तर्क दिया कि प्रार्थी ने भूमि ठेके पर ली जाकर काश्त की जा रही हैं उसका भूमि पर

—cont (2)

अधिकारी
गंगानगर

(2) विविध 309/15

कब्जा हें प्रथम द्वष्ट्रया प्रकरण बनता हैं अतः दिनांक 21–12–2015 को जारी अस्थाई निषेघाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावें।

हमने प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त विवादास्पद भूमि प्रार्थी के द्वारा उक्त विवादास्पद भूमि 5.10बीधा जरिऐ इकरारनामा दिनांक 1–3–2014 से 28–2–2019 तक पांच वर्ष के लिऐ भूमि की सार सभ्भाल फसल आदि लेने हेतु सौंप दी है। उक्त विवादास्पद भूमि पर प्रार्थी का कब्जा दिनांक 1–3–2014 से लगातार हैं। भूमि का कब्जा होने से प्रार्थी का प्रथम द्वष्टया प्रकरण बनता हैं ओर सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। अतः प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि मूल वाद के निर्णय तक विवादास्पद भूमि चक 7 ई छोटी के मु0न016 में 20/1,21,22,23,24,25 में कुल 5.10बीधा भूमि को विकय करने एंव प्रार्थी के कब्जे की यथास्थिति बनाई रखें। पत्रावली नम्बर से कम कर फैसला शुमार की जाकर मूल वाद के साथ सलंग्न की जावे।

A3 2

आदेश सुनाया गया।

(कैलाशचन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर